न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—108/16 (2016/00076) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भंवरलाल पुत्र शंकरलाल (महाजन) कटारिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर
2—रतनलाल पुत्र शंकरलाल (महाजन) कटारिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर
3—धनराज पुत्र शंकरलाल (महाजन) कटारिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर
4—पारसमल पुत्र शंकरलाल (महाजन) कटारिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर
5—कमलादेवी विधवा तेजमल (महाजन) कटारिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर
6—रमेश पुत्र तेजमल (महाजन) कटारिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर
7—अशोक पुत्र तेजमल (महाजन) कटारिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर
8—राजु पुत्र तेजमल (महाजन) कटारिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर
9—सुमित्रा पुत्री तेजमल पत्नि राके डागलिया निवासी नाथद्वारा
10—चान्दमल पुत्र बादरमल (महाजन) कटारिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर
11—मिश्रीलाल पुत्र बादरमल (महाजन) कटारिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1—ग्राम पंचायत नाथड़ियास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नाथड़ियास तहसील रायपुर
2—हीरा पुत्र गोपी सुथार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—रामा पुत्र गोपी सुथार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—अणछी विधवा मिठु सुथार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—जगदीश पुत्र मिठु सुथार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—सुरेश पुत्र मिठु सुथार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः—13.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास के बैरून हल्के आबादी मे आराजी नम्बर 198/3 रकबा 3 बीघा जिसके हाल नम्बर 1269 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1270 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1271 रकबा 0.61 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.65 है0 भू—प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान बने है। प्रार्थीगण की साबिक आराजी नम्बर ग्राम नाथड़ियास की आबादी आराजी नम्बर 224मीन व 198/1 से मिली हुई थी तथा विपक्षीगण की आराजी 198/4 दक्षिण दिशा में अवस्थित थी यानि आबादी के खसरा नम्बर 224मीन व 198/1 के मध्य अन्य कोई आराजियात नही थी। तहसील रायपुर का भू—प्रबन्ध हुआ तो ग्राम नाथड़ियास का भू—प्रबन्ध हुआ जिसमे विपक्षी संख्या 3 भू—प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा ने साबिक आराजी संख्या 198/4 के हाल आराजी नम्बर 1272, आराजी नम्बर 1273, आराजी नम्बर 1274, आराजी नम्बर 1275, आराजी नम्बर 1276, आराजी नम्बर 1279, आराजी नम्बर 1283, आराजी नम्बर 1284, आराजी नम्बर 1285, कुल किता 9 कुल रकबा 1.73 है0 बनाये

जिसमे प्रार्थीगण की साबिक आराजी नम्बर 198/3 के पश्चिम मे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाथड़ियास की साबिक आराजी संख्या 198/2 जिसको दुर करते हुए बीच मे विपक्षीगण संख्या 2 से 6 की हाल आराजी संख्या 1272, 1274, 1275, 1276, को डाल कर लम्बाई मे उत्तर दक्षिण में पट्टी के रूप में गलत रूप से फिट कर दी व हाल ट्रेस में अमूलचुल परिवर्तन कर दिया तथा विवाद की स्थिति पैदा कर दी, जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को केवल साबिक प्रविष्ठि को ही हाल प्रविष्ठि के रूप में अकित करनी थी ऐसा करने का भू–प्रबन्ध विभाग को विधिक अधिकार प्राप्त नही था। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 हाल आराजी संख्या 1272, 1274, 1276, की पत्थरगढ़ी नही करावे, न ही उक्त आराजियात को आबादी में विपक्षी संख्या 7 के कार्यालय मे आबादी हेतु समपरिवर्तन ही करावें एवं न उक्त आराजियात के पट्टे ही ग्राम पंचायत से बनवावें। विपक्षी संख्या 7 के समक्ष हाल आराजी नम्बर 1272, 1274, 1276 करे विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 समंपरिवर्तन कराने आवें तो उनका समंपरिवर्तन नही करे व न किसी प्रकार से पट्टे ही जारी करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थिति नही है अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 की ओर अधिवक्ता पर्वतसिंह उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि आराजी संख्या 1271, 1275, 1276 को नवीन नक्शे में सही जगह ही फीट किया है। भूप्रबन्ध के दोरान आराजियात पहले जहां थी वहां पर फीट किया है। साबिक आराजी संख्या 198/4 के खातेदारान विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 की आराजी को गलत फीट नही की है उन्होने खातेदार काश्तकार होने और सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका उनको पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढ़ी आदेश के विरूद्व प्रार्थीगणो ने अपील प्रस्तुत कर दी जो विचाराधीन है। लकिन प्रार्थीगणो को बिना वजह घोषणात्मक डिक्री का वाद प्रस्तुत करने को कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की साबिक आराजी नम्बर 198/3 के नवीन 1269, 1270, 1271 बने जो आराजी नम्बर 198/2 से लगता हुआ था दौराने सेटलमेन्ट विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1272, 1274, 1275, 1276 के नक्शे की आकृति में परिवर्तन करते हुए प्रार्थीगण की आराजी नम्बर में मिला दिया जिससे प्रार्थीगण की आराजी प्रभावित हुई है जब तक मुल वाद का निस्तारण नही तब तक रेकार्ड और मौके की स्थिति बनाये रखे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि विपक्षीगण खातदोर है और खातेदार को पत्थरगढ़ी कराने में कोई अड़चन नही है। पत्थरगढ़ी का आदेश करना न्यायालय का न्यायिक कार्य है इसको कोई रोक नही सकता इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष में पंचायत से किसी प्रकार के पट्टे जारी नही करने का भी निवेदन किया जो गलत है पंचायत के विरूद्व किसी प्रकार का वाद पेश करने के पूर्व पंचायत एक्ट की धारा

109 के तहत् कार्यवाही की जानी चाहिये इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में को प्रार्थी एवं विपक्षी अधिवक्ता बहस सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण की साबिक आराजी नम्बर 198 / 3 साबिक आराजी नम्बर 198 / 2 से पूर्व की तरफ एवं 198 / 4 से उत्तरी पूर्वी कोने से उत्तर की तरफ, उत्तर दक्षिण आबादी की तरफ लम्बाई में एवं पूर्व पश्चिम चौड़ाई में होते हुए साबिक आराजी नम्बर 198 / 1 आबादी भूमि से दक्षिणी पूर्वी भाग से दक्षिण में स्थित थी जो आयताकार रूप में थी जिसकी नवीन नक्शे में आकृति परिवर्तित हुई हैं और विपक्षीगण की साबिक आराजी नम्बर 198 / 4 जो साबिक आराजी नम्बर 198 / 2 व 198 / 3 के दक्षिण में स्थित थी और आबादी से काफी दुंर थी होकर पूर्व पश्चिम लम्बाई एवं उत्तर दक्षिण चौड़ाई में थी जिसको नवीन नक्शे में साबिक के मुकाबले परिवर्तन हुआ है जिसे प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। विपक्षीगण नवीन नक्शे के अनुरूप अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या आगामी कोई कार्यवाही करता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना है और इसके साथ सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण के कब्जेशुदा भूमि में विपक्षी क्रमांक 1 के द्वारा भी कोई कार्यवाही की जाती है तो प्रार्थीगण प्रभावित होते है। दिनांक 27.02.2020 को रेकार्ड और मौके की यथास्थिति रखे जाने का भी आदेश हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के ताफैसला तक ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास के बैरून हल्के आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1279, 1283, 1284, 1285 में मूल वाद के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.8.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (राज०) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 14:44:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: